

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड

अभियंत्रण भवन, एच. इ. सी. धुर्वा, राँची - 834004

कार्यालय आदेश संख्या 1537 / विद्युत बोर्ड

दिनांक 19.09.09

संज्ञिका संख्या - VI/ कार्मिक/ अनुबन्ध/ मुआवजा - 5002/ 09

बोर्ड के संकल्प संख्या 560 के अनुशरण में बोर्ड के अधीन अनुबन्ध के आधार पर कार्यरत प्रशिक्षण सहायक नियंत्रक, प्रशिक्षण सहायक परिचालक, प्रशिक्षण बटन पट चालक एवं प्रशिक्षण कर्मीय सारणी पुरुष को कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने के उपरान्त उनके इलाज में किये जानेवाले खर्च तथा इलाज के दौरान मृत्यु या शारीरिक क्षतिग्रस्तोपरान्त मुआवजा निम्न रूप से भुगतान किया जायगा :-

- (क) अनुबन्ध के आधार पर कार्यरत प्रशिक्षण कर्मचारियों को कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने पर चिकित्सा का खर्च बोर्ड के नियमानुसार वहन किया जायगा।
- (ख) दुर्घटना की तिथि से कार्य करने योग्य होने तक की अवधि को कार्य पर मानते हुए बोर्ड नियमानुसार अनुबन्ध राशि का भुगतान किया जायगा।
- (ग) कार्यावधि में दुर्घटनाग्रस्त होने के उपरान्त चिकित्सा के दौरान मृत्यु/ शारीरिक क्षति होने पर बोर्ड के कार्यालय आदेश संख्या 1119 दिनांक 25.09.2006 में निहित प्रावधानों के अनुसार मुआवजा भुगतान किया जायगा।

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के आदेश से।

अनुलग्नक: यथोपरि।

ह0/-
सचिव

ज्ञापक

दिनांक

प्रतिलिपि अध्यक्ष के तकनीकी सचिव/ संदस्य (तकनीकी) के तकनीकी सचिव/ सदस्य (वितरण) के तकनीकी सचिव/ आरक्षी उपगहानिरीक्षक (निगरानी) के निजी सहायक/ सचिव के निजी सहायक झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
सचिव

ज्ञापक

दिनांक

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख/ सभी मुख्य अभियंता/ मुख्य अभियंता (अरौनिक)/ वित्त नियंत्रक/ लेखा नियंत्रक/ वरीय विधि परामर्शी सह अपर सचिव/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी निदेशक/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप निदेशक/ सभी कार्यपालक अभियंता/ सभी लेखा पदाधिकारी/ उप विधि परामर्शी/ सभी अपर सचिव/ सभी कार्मिक पदाधिकारी/ सभी विधि पदाधिकारी/ सभी प्रशासकीय पदाधिकारी/ प्रोग्रामर/ सभी श्रम कल्याण पदाधिकारी/ सभी प्रशासकीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड मुख्यालय, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
सचिव

ज्ञापक 1741

दिनांक 19-9-09

प्रतिलिपि महाप्रबन्धक, पतरातू बाष्प शक्ति प्रतिष्ठान, पतरातू/ सभी महाप्रबन्धक सह मुख्य अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/ संवर्ण प्रक्षेत्र/ परियोजना प्रबन्धक, सुवर्णरेखा जल विद्युत परियोजना, शिकिदिरी/ तकनीकी सेवा, राँची/ सभी अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल/ संवर्ण अंचल/ लेखा निदेशक, पतरातू/ शक्ति प्रतिष्ठान, पतरातू/ सभी कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रगंडल/ संवर्ण प्रगंडल/ सभी उप लेखा निदेशक/ सभी लेखा पदाधिकारी/ सभी विधि पदाधिकारी/ सभी कार्मिक पदाधिकारी/ सभी श्रम कल्याण पदाधिकारी/ सभी प्रशासकीय पदाधिकारी/ सभी प्रशासकीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
सचिव
19/09/09